रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 2004/श्रावण 20, 1926

No. 141] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2004/SRAVANA 20, 1926

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(मुख्य कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2004

सं. पीएसबी/पीईएन/एएमईएनडी/1/2004.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40), की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में पुन: संशोधन हेतु, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम पंजाब एण्ड सिंध बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में,

(क) विनियम 2 के उप-विनियम (थ) के खंड (ख) में उप-खंड (iii) के बाद निम्नलिखित उप-खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात् :—

"(IV) 1960=100 शृंखला में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक के 1148 अंकों तक परिकलित महंगाई भत्ता;"

(ख) विनियम 41 में उप-विनियम (6) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(6) जो आवेदक अधिवार्षिता पेंशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अशक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता के लिए, प्राधिकृत है, वह इन विनियमों के अंतर्गत अपनी पेंशन के एक हिस्से को संराशीकृत करने का पात्र होगा :—

परंतु, 1-7-2003 को या से, जिस आवेदक के मामले में, पेंशन का संराशीकृत मूल्य उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन या संराशीकरण पूर्ण होने के तारीख से देय होता है, संराशीकरण के कारण पेंशन की रकम में कमी उसके प्रारंभ की तारीख से ही लागू होगी। तथापि, जहां संराशीकृत पेंशन की रकम का भुगतान यथास्थिति, सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले माह या संराशीकरण पूर्ण होने की तारीख से पहले माह के भीतर नहीं होता है, वहां मासिक पेंशन और संराशीकृत पेंशन के अंतर का भुगतान, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन से या संराशीकरण पूर्ण होने की तारीख से, जिस तारीख को संराशीकृत पेंशन को प्रदत्त माना गया है, उससे पिछली तारीख तक किया जाएगा।"

आर. सरीन, महाप्रबंधक (कार्मिक)

[विज्ञापन/III/IV/असाधारण/134/04]

पाद-टिप्पणी :— मूल विनियम भारत के राजपत्र में 29-9-1995 को (असाधारण) प्रकाशित हुए थे तथा परवर्ती संशोधन राजपत्र में निम्नानुसार प्रकाशित हुए :—

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक
1.	1/1999	9-9-1999
2.	1/2002	22-4-2002
3.	6/2002	05-12-2002

PUNJAB & SIND BANK

(Head Office)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2004

No. PSB/PEN/AMEND/1/2004.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Punjab & Sind Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations further to amend the Punjab & Sind Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, namely :—

1. (1) These Regulations may be called Punjab & Sind Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2004.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Punjab & Sind Bank (Employees') Pension Regulations, 1995,

   (a) in clause (b) to sub-regulation (s) of regulation 2, after sub-clause (iii) the following sub-clause shall be inserted namely :—

   "(iv) Dearness allowance calculated upto index number 1148 points in the All India Average Consumer Price Index for Industrial workers in the series 1960 = 100."

   (b) In Regulation 41, for sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

   "(6) An applicant who is authorised a superannuation pension or voluntary retirement pension or premature retirement pension or compulsory retirement pension or invalid pension or compassionate allowance shall be eligible to commute a fraction of his pension under these Regulations :

   Provided that on and from 1-7-2003, in case of an applicant in whose case, the commuted value of pension becomes payable on the day following the date of his retirement or from the date from which the commutation becomes absolute; the reduction in the amount of pension on account of commutation shall become operative from its inception. Where, however, payment of commuted value of pension could not be made within the first month after the date of retirement or within the first month after the date when the commutation becomes absolute as the case may be, the difference between the monthly pension and the commuted pension shall be paid for the period between the date following the date of retirement or the date when the commutation becomes absolute as the case may be, and the date preceding the date on which commuted value of pension is deemed to have been paid."

R. SAREEN, General Manager (Personnel)

[ADVT/III/IV/Exty./134/04]

Foot Note:— The Principal Regulations were published in the Gazette of India on 29-09-1995 (Extraordinary) and subsequent amendments were published in the Gazette as under :—

Sl. No.	Notification No	Date
1.	1/1999	9-9-1999
2.	1/2002	22-4-2002
3.	6/2002	5-12-2002

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.